प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 11.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दुरभाष दिये आवश्यक निर्देश-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में प्रतिदिन जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावनी प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 11.09.2023

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 10.09.2023 को थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर टीम का गठन किया गया था, गठित टीम के उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी द्वारा महाकाल ढाबा अवस्थित नहर पुलिया कस्बा चरखारी के पास से 01 नफर अभियुक्त मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद एहसान उम्र 36 वर्ष निवासी मुहल्ला भैरोगंज कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सुभाषचन्द्र तिवारी

2. उ.नि.रावेन्द्र पाण्डेय

3.का.जयदीप पटेल

4.का. राम सिंह थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद एहसान उम्र 36 वर्ष निवासी मुहल्ला भैरोगंज कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

थाना कबरई पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 आशिक अली द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सुरेश विश्वकर्मा पुत्र गोरेलाल विश्वकर्मा उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम लिलवाही थाना कबरई जनपद महोबा को सम्बन्धित भरण पोषण याचिका संख्या 60/23 धारा 128 सीआरपीसी में ग्राम लिलवाही थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशिक अली
2. का0 मोहित सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरेश विश्वकर्मा पुत्र गोरेलाल विश्वकर्मा उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम लिलवाही थाना कबरई जनपद महोबा

जनपदीय क्राइम ब्रांच व थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 31 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा सहित 02 अदद तमंचा कारतूस बरामद ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम एंव क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के पर्यवेक्षण मे में चलाये जा रहे अवैध गांजा की बिक्री एवं तस्करी तथा उसमे संलिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जनपदीय सर्विलांश व थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड श्री लाखन सिंह व क्राइम ब्रांच उ0नि0 रवि कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 10.09.2023 को प्रतीक्षालय मंगरौल कला रोड के पास से 03 नफर अभियुक्तगण 1. मनीष राजपूत पुत्र जगन्नाथ राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष 2.मुकेश कुमार राजपूत पुत्र बलराम सिंह उम्र करीब 35 वर्ष 3.जयहिन्द राजपूत पुत्र शिवकुमार उम्र करीब 26 वर्ष को 03 अदद काले बैग सहित हिरासत पुलिस मे लिया गया, जिसमें प्रत्येक बैग से 10.550 किग्रा सूखा गांजा बरामद किया गया । अभियुक्त उपरोक्त से बरामदगी विवरण निम्नवत है । अभियुक्त 1.मनीष राजपूत पुत्र जगन्नाथ राजपूत के कब्जे से 10.550 किग्रा सूखा गांजा सहित 01 अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ 2. मुकेश कुमार राजपूत पुत्र बलराम सिंह के कब्जे से 10.550 किग्रा सूखा गांजा नाजायज सहित 01 अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ तथा अभियुक्त 3. जयहिन्द राजपूत पुत्र शिवकुमार राजपूत के कब्जे से 10.550 किग्रा सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः 1.मु0अ0सं0 271/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 272/2023 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम मनीष राजपूत व मु0अ0सं0 273/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 274/2023 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम मुकेश कुमार राजपूत तथा मु0अ0सं0 275/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम जयहिन्द राजपूत के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री लाखन सिंह थाना कुलपहाड़ 2. उ0नि0 हरिभजन गौतम 3.का0 देवेन्द्र राजपूत 4. का0 अजय कुमार 5. म0का0 पिंकी यादव

जनपदीय क्राइमब्रांच टीम-

1. उ0नि0 श्री रवि कुमार सिंह
2. का0 अंशुल दुबे 3. का0 सत्यम

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मनीष राजपूत पुत्र जगन्नाथ राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष ग्राम बडखेरा थाना अजनर महोबा
2.मुकेश कुमार राजपूत पुत्र बलराम सिंह उम्र करीब 35 वर्ष ग्राम बडखेरा थाना अजनर महोबा
3.जयहिन्द राजपूत पुत्र शिवकुमार राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बरूआ थाना मझगंवा जनपद हमीरपुर

बरामदगी-

1.03 अदद प्लास्टिक के बैग में कुल 31.650 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद
2. एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
3. एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 11.09.2023 को थानाध्यक्ष खरेला श्री यज्ञनारायण भार्गव द्वारा गठित टीम के उ0नि0दिनेश यादव द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र बालकिशुन पाल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कैथी थाना राठ जनपद हमीरपुर हाल पता ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूत 315 बोर नाजायज के साथ सत्ती तालाब हरदौल बाबा मन्दिर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 90/23 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 दिनेश यादव

2. का0 मिथिलेश त्रिपाठी

गिरफ्तार अभियुक्त-

बालकिशुन पाल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम कैथी थाना राठ जनपद हमीरपुर हाल पता चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 45 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एंव परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गयी उ0नि0 हरी कुमार सिंह मय हमराह कर्मचारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त स्वतंत्र पुत्र दीन दयाल वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रैवारा थाना कबरई जनपद महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत सुनैचा मोड़ वहद ग्राम रिवई के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के बोरी मे 45 क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 242/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः –

1. उ0नि0 हरी कुमार सिंह
2. कां0 सुनील कुमार 3. का0 अंकुश पाल

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

स्वतंत्र पुत्र दीन दयाल वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम रैवारा थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्ति:- एक प्लास्टिक के बोरी मे 45 क्वार्टर देशी शराब नाजायज।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 11.09.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम एंव क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के पर्यवेक्षण मे में चलाये जा रहे अवैध गांजा की बिक्री एवं तस्करी तथा उसमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री शिवआसरे द्वारा गठित टीम के उ0नि0 शिवदान सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर पठारी नरवारा मोड़ तिराहा से एक नफर अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ भुप्पू राजपूत पुत्र दुलीचन्द्र राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा को मय 01 किलो 200 ग्राम सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.सं. 175/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शिवदान सिंह थाना अजनर जनपद महोबा।
2. कां0 हवन कुमार थाना अजनर जनपद महोबा।
3. कां0 अरविन्द कुमार थाना अजनर जनपद महोबा।

बरामदगी-

01 किलो 200 ग्राम सूखा नाजायज गांजा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

भूपेन्द्र उर्फ भुप्पू राजपूत पुत्र दुलीचन्द्र राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खमा थाना अजनर जनपद महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम ने 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 367/23 धारा 323/504/506/386/307/325 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वाँछित अभियुक्तगण1. रिजवान उर्फ लुच्ची उर्फ लिच्चू पुत्र बादल उर्फ बदलू खां उम्र करीब 22 वर्ष निवासी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा 2.अर्जुन राजपूत उर्फ अर्जुन दादी पुत्र प्रभूदयाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मामना थाना कोतवाली नगर जिला महोबा को मोदी ग्राउण्ड के पास श्रीनगर जाने वाले तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

1. रिजवान उर्फ लुच्ची उर्फ लिच्चू पुत्र बादल उर्फ बदलू खां उम्र करीब 22 वर्ष निवासी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा 2.अर्जुन राजपूत उर्फ अर्जुन दादी पुत्र प्रभूदयाल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मामना थाना कोतवाली नगर जिला महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0-367/23 धारा 323/504/506/386/307/325 भादवि थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल प्रभारी चौकी बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा
2.कां0 रामकुमार तिवारी
3.कां0 राहुल तिवारी